

(LW)

छत्तीसगढ़ शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन-नया रायपुर  
// संशोधित आदेश //

रायपुर, दिनांक / / 2013

क्रमांक एफ 5-5/2005/20-तीन :- राज्य शासन द्वारा विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08.04.2005 द्वारा शासकीय महाविद्यालय रायपुर एवं बिलासपुर में संचालित बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम में शुल्क निर्धारित की गई है। उक्त आदेश दिनांक 08.04.2005 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा शिक्षा सत्र 2013-14 से राज्य के शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डी0एड0/बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रमों में सीधी एवं विभागीय सीटों में प्रवेश के लिए निम्नानुसार शुल्क निर्धारित करती है :-

1.	डी0एड0 प्रथम वर्ष	3500 रु0	6500 रु0
2.	डी0एड0 द्वितीय वर्ष	3000 रु0	(दो वर्षों का)
3.	छात्रावास हो तो	3500 रु0	
1.	बी0एड0		
	संस्थागत शुल्क	8500 रु0	8500 रु0
2.	छात्रावास हो तो	3500 रु0	
1.	एम0एड0		
	संस्थागत शुल्क	10,000 रु0	11,000 रु0
2.	छात्रावास हो तो	3500 रु0	10,000 रु0

₹

क्रमशः...2

शिक्षा सत्र 2013-14 से राज्य के शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डी0एड0/बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रमों में निर्धारित शुल्क का विवरण

डी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु

स0क0	संस्थागत फीस का मद	शुल्क प्रति छात्र प्रति पाठ्यक्रम	
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
1.	खेलकूद/शारीरिक शिक्षा/वि.वि. कीड़ा अंशदान	300/-	द्वितीय वर्ष में काशनमनी देय नहीं होगा। शेष शुल्क प्रथम वर्ष की तरह देय होगा। अतः द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों से लिए जाने वाले शुल्क की राशि 3000/- होगी।
2.	साहित्यिक/सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियाँ/क्षेत्रीय सांस्कृतिक साहित्यिक प्रतियोगिता अंशदान	300/-	
3.	मूल्यांकन एवं स्थानीय परीक्षा	300/-	
4.	विज्ञान क्लब, विज्ञान फीस, मनोविज्ञान गणित क्लब	200/-	
5.	कार्यानुभव/बागवानी/काफ्ट/कला शिक्षा	200/-	
6.	शालानुभव कार्यक्रम/शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण	200/-	
7.	समाचार पत्र/पत्रिकाएँ/बुलेटिन/वाचनालय	200/-	
8.	सामुदायिक जीवन एवं समाज के साथ कार्य	150/-	
9.	सेमीनार, वर्कशाप व शैक्षणिक भ्रमण	500/-	
10.	स्काउट	30/-	
11.	रेडक्रास	20/-	
12.	स्टेशनरी एवं अन्य	300/-	
13.	ICT	300/-	
14.	काशनमनी (केवल प्रथम वर्ष में देय प्रमाण पत्र प्राप्ति बाद राशि वापस होगी)	500/-	
	योग (प्रथम वर्ष)	3500/-	
<b>छात्रावास फीस (प्रतिवर्ष)</b>			
1.	विकास शुल्क	1000/-	
2.	मेस एडवांस	2000/-	
3.	सफाई शुल्क	500/-	
	योग	3500/-	

कमश.....3

46

//3//

बी0एड0 पाठ्यक्रम के लिए शुल्क

स0क0	संस्थागत शुल्क का मद	शुल्क प्रति छात्र प्रति पाठ्यक्रम
1.	खेलकूद / शारीरिक शिक्षा / वि.वि. क्रीड़ा अंशदान	1000 / -
2.	मूल्यांकन / जांच परीक्षा	500 / -
3.	साहित्यिक / सांस्कृतिक क्रियाकलाप	1000 / -
4.	समाज सेवा / सामुदायिक जीवन संबंधी क्रियाकलाप	500 / -
5.	विज्ञान / मनोविज्ञान	300 / -
6.	कार्यानुभव / बागवानी / काफ्ट	500 / -
7.	पत्रिका एवं प्रकाशन / बुलेटिन / वाचनालय	500 / -
8.	विविध	300 / -
9.	छात्र कल्याण निधि	500 / -
10.	सेमिनार, वर्कशाप व शैक्षणिक भ्रमण	1000 / -
11.	प्रशिक्षार्थियों के लिए स्टेशनरी	600 / -
12.	शिक्षण अधिगम सामग्री	500 / -
13.	ICT	300 / -
14.	काशनमनी (डिग्री प्राप्ति उपरान्त राशि वापस होगी)	1000 / -
	योग (प्रतिसत्र)	8500 / -
1.	विकास शुल्क	1000 / -
2.	मेस एडवांस	2000 / -
3.	सफाई शुल्क	500 / -
	योग	3500 / -

कमश ...4

// 4 //

47

## एम0एड0 पाठ्यक्रम के लिए शुल्क

स0क0	संस्थागत शुल्क का मद	शुल्क प्रति छात्र प्रति पाठ्यक्रम
1.	खेलकूद / शारीरिक शिक्षा / वि.वि. क्रीड़ा / सांस्कृतिक कार्य फीस	1000 / -
2.	मूल्यांकन / जांच परीक्षा	500 / -
3.	साहित्यिक / सांस्कृतिक क्रियाकलाप	1000 / -
4.	समाज सेवा / सामुदायिक जीवन	500 / -
5.	विज्ञान / मनोविज्ञान	300 / -
6.	कार्यानुभव / बागवानी / काफ्ट	500 / -
7.	पत्रिका एवं प्रकाशन / बुलेटिन / वाचनालय	1500 / -
8.	विविध	300 / -
9.	छात्र कल्याण निधि	500 / -
10.	सेमिनार, वर्कशाप व शैक्षणिक भ्रमण	1300 / -
11.	प्रशिक्षार्थियों के लिए स्टेशनरी शैक्षणिक भ्रमण	600 / -
12.	शिक्षण अधिगम सामग्री	500 / -
13.	शोध एवं अनुसंधान	1000 / -
14.	ICT	500 / -
15.	काशनमनी (डिग्री प्राप्ति उपरान्त राशि वापस होगी)	1000 / -
	योग (प्रतिसत्र)	10,000 / -
छात्रावास फीस		11,000 / -
1.	विकास शुल्क	1000 / -
2.	मेस एडवांस	2000 / -
3.	सफाई शुल्क	500 / -
	योग	3500 / -

कमश:....5

फीस संबंधी निर्देश :-

- (1) संबंधित शासकीय संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का (बोर्ड/विश्वविद्यालय के परीक्षा/नामांकन शुल्क के अतिरिक्त) कोई शुल्क प्रशिक्षणार्थियों से सत्र में नहीं लिया जाएगा।
- (2) विद्युत, पानी एवं अन्य खर्च वास्तविक व्यय के आधार पर छात्रावासी प्रशिक्षार्थियों से पृथक से प्रतिमाह वसूली किया जायेगा।
- (3) जिस महाविद्यालय में नवीन छात्रावास है वहां की आंतरिक व्यवस्था एवं मासिक व्यय की वसूली हेतु प्राचार्य, छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावासी सदस्यों की सहमति से कर सकते हैं।
- (4) मेस चार्ज प्रतिमाह छात्र से वसूल किया जायेगा। मेस एडवांस की राशि का अंतिम माह में व्यय समायोजित किया जायेगा।
- (5) क्रियाकलाप हेतु प्राप्त राशि प्राचार्य के द्वारा संचालित की जाएगी। एकाउंट शिक्षा महाविद्यालय में खुला है।
- (6) सत्रारंभ के समय महाविद्यालय का कैलेण्डर निर्माण किया जावे एवं सभी प्रस्तावित गतिविधियों का आयोजन करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन सत्रांत के पश्चात् परिषद् को उपलब्ध कराया जाएगा।
- (7) राज्य के शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, को अपने कार्य क्षेत्र में डाइट/बी.टी.आई. का क्षेत्रीय कीड़ा, साहित्यिक, सांस्कृतिक प्रतियोगिता एवं शिक्षा सम्मेलन आयोजित करना होगा। इस हेतु संबंधित संस्थाओं के लिए फीस की स्वीकृति दी जा चुकी है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

(एम.एन. राजूरकर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग